राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी : श्री महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं0	तारीख रजू	अंतिम निर्णय दिनांक
186/2024	23.05.2024	18.8.25

उनवानः

1. कंवरसिंह उम्र 58 वर्ष पुत्र श्री रामप्रताप जाति अहीर निवासी ग्राम तलवाना तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

......वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश उम्र 74 साल पुत्र श्री काशीराम जाति अहीर निवासी ग्राम तलवाना तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
2. फूलसिंह उम्र 35 साल पुत्र श्री रामावतार जाति अहीर निवासी ग्राम तलवाना तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
3. दाताराम उम्र 64 साल पुत्र श्री काशीराम जाति अहीर निवासी ग्राम तलवाना तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
4. रमेश उम्र 59 साल पुत्र श्री काशीराम जाति अहीर निवासी ग्राम तलवाना तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
5. राजकौर उम्र 57 साल बेवा सुभाष जाति अहीर निवासी ग्राम तलवाना तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
6. अजीतसिंह उम्र 38 साल पुत्र श्री सुभाष जाति अहीर निवासी ग्राम तलवाना तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
7. नवीन उम्र 13 साल पुत्र श्री सुधीर जाति अहीर निवासी ग्राम तलवाना तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0
8. नेन्सी पुत्री सुधींर जाति अहीर निवासी ग्राम तलवाना तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0 प्रति0 सं0 7 व 8 नाबालिंग जरिये सरपरस्त माता श्रीमती रेखा देवी पत्नी स्व. सुधीर जाति अहीर निवासी ग्राम तलवाना तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
9. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

........प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत इस्तकरार हक, दुरूस्ती इन्द्राजात एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर0टी0ए0</u>

उपस्थितिः– श्री पीताम्बर योग्य अधिवक्ता वादी की ओर से।
श्री विनोदसिंह चौहान योग्य अधिवक्ता प्रति.सं0 1से 5 व 7 व 8 की ओर से
श्री जितेन्द्र कुमार जांगिड़ योग्य अधिवक्ता प्रति0 सं0 6 की ओर से

।। निर्णय ।।

आज यह पत्रावली पेश हुई। पत्रावली के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर हाल 88 रकबा 0.71 है0 वाके ग्राम तलवाना तह0 नीमराना मे स्थित है जिसके संवत 2042 से पुर्व के खसरा नम्बर 105 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा था। आराजी मुतनाजा मे प्रतिवादी सं0 1 लगा. 8 के बुजूर्ग काशीराम पुत्र दौलतराम जाति अहीर निवासी ग्राम तलवाना हिस्सा–1/2 का खातेदार काबिज थे। काशीराम ने अपनी

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)

जायज आवश्यकताओ के लिए साबिक खसरा नम्बर 105 रकबा 2 बिघा 17 बिस्वा मे अपने खातेदारी हिस्सा–1/2 का जरिये रजि0 बयनामा दिनांक 18.03.1987 को बेचान की चुकता रकम लेकर व मौके पर कब्जा देकर बेचान वादी को कर दिया था वख्त खरीद से उक्त आराजी के 1/2 हिस्से पर वादी काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। बयनामा के आधार पर इंतकाल दर्ज करने के लिए बयनामा पटवारी हल्का द्वारा इंतकाल मिन वादी के नाम से दर्ज नही किया गया । इसलिए आराजी मुतनाजा की रिकार्ड मे खातेदारी काशीराम पुत्र दौलतराम के नाम से ही चलती रही और फिर काशीराम की मृत्यु होने पर उनकी विरासत का इंतकाल उनके वारिसान प्रतिवादीगण के नाम से खोल दिया गया। जिसकी जानकारी मिन वादी को नही थी। क्योकि मौके पर काश्त करने मे मिन वादी को किसी ने कोई दिक्कत बाजी पैदा नही की । लेकिन अब मिन वादी द्वारा अपनी निजी आवश्यकता के लिए आराजी मुतनाजा की जमाबन्दी की नकल निकलवाई तब पता चला की यह आराजी रिकार्ड मे काशीराम के वारिसान के नाम से दर्ज है। इस पर मिन वादी बयनामा लेकर पटवारी हल्का व तहसीलदार साहब से मिला तो पटवारी हल्का व तहसीलदार ने कहा कि यह बयनामा पुराने नम्बरो से किया हुआ है और रिकार्ड मे विक्रेता के वारिसान के नाम से खातेदारी दर्ज हो चुकी है इसलिए बयनामा के आधार पर हम इंतकाल दर्ज नही कर सकते है आप राजस्व न्यायालय मे दावा दायर कर खातेदारी प्राप्त करो। इसलिए वादी द्वारा यह दावा पेश किया जाकर, बयनामा दिनांक 18.03.1987 के आधार पर खातेदारी दर्ज करने एवं प्रतिवादीगण को हुक्म ईम्तनाई दवामी से पाबन्द किया जाने की प्रार्थना की गई।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादी सं0 1 से 5 व 7 व 8 बाद तामिल जरिये अधिवक्ता विनोदसिंह के उपस्थित होकर वादी के वाद पत्र की पुष्ठि करते हुये इकबाल जबाब दावा पेश किया तथा प्रतिवादी सं0 6 जरिये अधिवक्ता श्री जितेन्द्र कुमार जांगिड के उपस्थित होकर वादी के वाद पत्र की पुष्ठि करता हुआ इकबाल जबाब दावा पेश किया गया। पत्रावली वास्त साक्ष्य वादी नियत की गई।

वादी के अधिवक्ता द्वारा मौखिक साक्ष्य पेश नही कर, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं प्रतिवादीगण द्वारा पेश इकबाल जबाब दावा से वादी का वाद पूर्ण रूप से सिद्ध होने के कारण डिक्री किया जाने की प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं तथ्यो एवं प्रतिवादीगण द्वारा पेश इकबाल जबाब दावा का ध्यान पुर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर पेश बयनामा दिनांक 18.03.1987 का अवलोकन किया गया जिसके मुताबिक काशीराम पुत्र दौलतराम अहीर निवासी तलवाना ने खसरा नम्बर 105 रकबा 2 बिघा 17 बिस्वा मे अपने सम्पूर्ण खातेदारी हिस्सा–1/2 का बेचान कंवरसिंह पुत्र रामप्रसाद अहिर निवासी तलवाना को किया गया है। बयनामा मे बेचान की चुकता रकम प्राप्त करना एवं मौके पर क्रेता को कब्जा सम्भलाना अंकित किया गया है। साबिक खसरा नम्बर 105 रकबा 2 बिघा 17 बिस्वा का नया नम्बर मिलान क्षेत्रफल संवचत 2042 के मुताबिक 88 रकबा 0.71 है0 कायम किया गया है। जिसके हाल रिकार्ड मे 1/2 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज है जों विक्रेता काशीराम पुत्र दौलतराम के वारिस होने के पत्रावली पर तथ्य उपलब्ध है तथा प्रतिवादी सं0 1 लगा0 8 द्वारा वादी के वाद पत्र को डिक्री किया जाने मे कोई आपत्ति नही होने बाबत इकबाल जबाब दावा पेश किया गया। इसलिए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं तथ्यो के पूर्ण अवलोकन से वादी का वाद सिद्ध होने के कारण डिक्री होने योग्य है।

।। आदेश ।।

अतः वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि खसरा नम्बर 88 रकबा 0.71 है0 वाके ग्राम तलवाना तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड)

के हाल राजस्व जमाबन्दी मे प्रतिवादीसं0 1,3,4 व प्रतिवादी सं0 2 के पिता मृतक राताैतार पुत्र काशीराम प्रत्येक के नाम से दर्ज हिस्सा–1/10 पर से तथा प्रतिवादी सं0 5 व 6 प्रत्येक के नाम से दर्ज हिस्सा–1/30 पर से तथा प्रतिवादी सं0 7 व 8 के पिता मृतक सुधीर पुत्र सुभाष जाति अहीर निवासी तलवाना तह0 नीमराना के नाम से दर्ज खातेदारी हिस्सा–1/30 पर से नाम कलमजन किया जाता है तथा उक्त कुल खातेदारी हिस्सा–1/2 का खातेदार बयनामा दिनांक 18.03.1987 के मुताबिक वादी को खातेदार घोषित किया जाता है तथा शेष खातेदारी इन्द्राज बदस्तूर रखा जावे तथा इसी प्रकार से हाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीयात खसरा गिरदावरीजात मे अंकन करने का आदेश दिया जाता है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। तथा पत्रावली फैसल सूमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दफतर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 18.8.25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

महेन्द्रसिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
(आर ए एस)
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)
उपखण्ड अधिकारी,नीमराना
(कोटपूतली–बहरोड) राज0